न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 27/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

1. रितेश कुमार (नाबा.) पुत्र ओमप्रकाश जाति तेली, साकिन अन्ता
2. किसकिन्दा बेवा ओमप्रकाश जाति तेली, साकिन अन्ता जिला बारां **(अप्रार्थीगण)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री योगेश गुर्जर अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 21.07.2023

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 898 रकबा 0.76 है., खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 किस्म माल I वाके ग्राम मालबमोरी तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में मूल खसरा नंबर 418 मि. रकबा 41 बीघा 5 बिस्वा के नवीन ख0नं0 898 रकबा 0.76 है., खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म माल I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद, कौम छीपा, तथा देवंचद पुत्र जगन्नाथ कौम गुर्जर सा. मालबमोरी खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–78 अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर पेश किया कि वाके माल बमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता नंबर 316 में आराजी खसरा नंबर 898 रकबा 0.76 है, खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 है., खसरा नंबर 908 रकबा 2.57 है कुल किता 3 कुल रकबा ... है. सन 2009 में हरिचरण, अनिल कुमार, अजय कुमार पिसरान गोपीलाल, जाति छीपा निवासी सीसवाली, गीताबाई पुत्री गोपीलाल पत्नि गोविन्दप्रकाश, जाति छीपा, निवासी सीसवाली हाल निवासी केशोपुरा कोटा तहसील

लाडपुरा जिला कोटा (राज0) तथा गायत्रीबाई पुत्री गोपीलाल पत्नि देवेन्द्र प्रताप जाति छीपा निवासी सीसवाली हाल महावीर नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के शामलाती खाते की भूमि को क्रय किया था। जिसका समस्त राजस्व कर प्रार्थीगण द्वारा अदा कर उक्त भूमि प्रार्थीया व उसके पुत्र की खातेदारी में दर्ज हुई तब से प्रार्थीया व उसका पुत्र उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है, व उक्त भूमि के सुधार व रख रखाव हेतु उसने काफी पैसा खर्च किया है। राजस्व अधिकारीयों की त्रुटिवश उक्त भूमि का कुछ हिस्सा रेफरेन्स में गलत दर्ज हो गया है। बाद में राजस्व अधिकारीयों से पता चलने पर व पारिवारिक आवश्यकता होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा कुछ हिस्सा अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया है। तथा संबंधित क्रेता के नाम उक्त विक्रय किया गया हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में मूल खसरा नंबर 418 मि. रकबा 41 बीघा 5 बिस्वा के नवीन ख0नं0 898 रकबा 0.76 है., खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म माल I दर्ज की गई। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर खसरा नंबर 418 मि. रकबा 41 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल 898 रकबा 0.76 है., खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 माल I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद, कौम छीपा, साकिनदेह सीसवाली तथा देवंचद पुत्र जगन्नाथ कौम गुर्जर सा. मालबमोरी खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 के खातेदारी में दर्ज है, यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद, कौम छीपा, साकिनदेह सीसवाली तथा देवंचद पुत्र जगन्नाथ कौम गुर्जर सा. मालबमोरी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉं हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके माल बमोरी में खाता नंबर 316 में आराजी खसरा नंबर 898 रकबा 0.76 है., खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 है., खसरा नंबर 908 रकबा 2.57 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.40 है. सन 2009 में हरिचरण, अनिल कुमार, अजय कुमार पिसरान गोपीलाल, जाति छीपा निवासीगण सीसवाली, गीताबाई पुत्री गोपीलाल पत्नि गोविन्दप्रकाश, जाति छीपा, निवासी सीसवाली हाल निवासी केशोपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) तथा गायत्रीबाई पुत्री गोपीलाल पत्नि देवेन्द्र प्रताप जाति छीपा निवासी सीसवाली हाल महावीर नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के शामलाती खाते की भूमि को क्रय किया था। तब से प्रार्थीया व उसका पुत्र उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 418 मि. रकबा 41 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद, कौम छीपा, तथा देवंचद पुत्र जगन्नाथ कौम गुर्जर सा. मालबमोरी को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 898 रकबा 0.76 है., 908 रकबा 2.57 है., खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 किता 3 कुल रकबा 3.40 है0 किस्म माल I वाके ग्राम मालबमोरी बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद, कौम छीपा, तथा देवंचद पुत्र जगन्नाथ कौम गुर्जर सा. मालबमोरी को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद, कौम छीपा, तथा देवंचद पुत्र जगन्नाथ कौम गुर्जर सा. मालबमोरी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम मालबमोरी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 898 रकबा 0.76 है., खसरा नंबर 909 रकबा 0.07 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 किस्म माल I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 418 मि. रकबा 41 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहर लाल पुत्र रामप्रसाद, कौम छीपा, तथा देवंचद पुत्र जगन्नाथ कौम गुर्जर सा. मालबमोरी को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested